शहर के बीच बना नशेड़ियों का अड्डा, हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मीडिया में प्रकाशित खबर कि शहर के बीच नशेड़ियों का दवाखाना और सीरिंज से ले रहे नशीली दवाएं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन को कठघरे में खड़ा किया है। इस प्रकाशित खबर में बताया गया कि बिलासपुर शहर के जूनी लाइन इलाके में खुलेआम नशीले इंजेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। नशेड़ी झाड़ियों के बीच बैठकर सीरिंज से नशे का सेवन कर रहे हैं और रोकने-टोकने वाला कोई नहीं है। इस कारण स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। रिपोर्ट में यह भी उजागर हुआ कि सरकारी नियमों की अवहेलना करते हुए नशीले इंजेक्शनों की सप्लाई जारी है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की खंडपीठ ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए कलेक्टर बिलासपुर और एसपी बिलासपुर को आदेश दिया है कि वे व्यक्तिगत हलफनामा दायर कर अदालत को बताएं कि इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेज भी हलफनामे के साथ दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त 2025 को होगी, जिसमें हाई कोर्ट प्रशासनिक कार्रवाई की प्रगति की निगरानी करेगा। हाई कोर्ट ने साफ किया कि शहर के बीच नशेड़ियों का ऐसा जमावड़ा बेहद गंभीर और खतरनाक स्थिति है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।